जनपद हमीरपुर

थाना राठ **दिनांक 13.11.2026**

थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 382/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2)/3(5) बीएनएस के अभियोग में वांछित चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गया माल, नकदी, अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस एवं चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। अभियुक्तों के विरुद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट एवं गुण्डा एक्ट के तहत भी विधिक कार्यवाही की गई।

घटना का विवरण-



अवगत कराना है कि दिनांक 06.11.2026 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना राठ पर मु0अ0सं0 382/2026 धारा 305 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 305(ए)/331(4)/317(2)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 13.11.2026 को थाना राठ पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. गोविन्द सिंह उर्फ गौरव राजपूत, 2. अनिल कुमार, 3. विजय कुमार एवं 4. सुनील कुमार उर्फ सोनू को सैना रोड, थाना राठ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राठ पर मु0अ0सं0 394/2026 धारा 310(4) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त अनिल कुमार के विरुद्ध मु0अ0सं0 395/2026 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. गोविन्द सिंह उर्फ गौरव राजपूत पुत्र विनोद कुमार राजपूत, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम कैथा, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
2. अनिल कुमार पुत्र परमेश्वरी दयाल, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम कुल्हेड़ा, थाना मझगवां, जनपद हमीरपुर।
3. विजय कुमार पुत्र सियाराम, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम कैथा, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
4. सुनील कुमार उर्फ सोनू पुत्र छत्रपाल, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम कैथा, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद तमंचा .315 बोर।
- 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- 01 अदद लोहे की पाइप।
- 01 अदद लोहे का कटर।
- 01 अदद लोहे का अन्य उपकरण।
- चोरी गया सफेद धातु के 02 टुकड़े, कुल वजन 433 ग्राम।
- ₹4,700/- नगद।
- 03 जोड़ी बुर्के।
- एक अदद मोटरसाइकिल

अभियुक्त गोविन्द सिंह उर्फ गौरव राजपूत का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 99/2026 धारा 115(2), 191(2), 351(3), 352, 74 बीएनएस, थाना राठ।
2. मु0अ0सं0 334/2023 धारा 411/494 भा0द0स0, थाना राठ।
3. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा।
4. मु0अ0सं0 69/2025 धारा 305ए/331(4) बीएनएस, थाना मटौंध, जनपद बांदा।

अभियुक्त अनिल कुमार का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 130/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जरिया।
2. मु0अ0सं0 167/2024 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस, थाना मझगवां।
3. मु0अ0सं0 175/2024 धारा 281/324(3) बीएनएस एवं धारा 3(2)(क) सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, थाना मझगवां।
4. मु0अ0सं0 351/2018 धारा 120बी/354/506 भा0द0स0, थाना राठ।
5. मु0अ0सं0 42/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना राठ।
6. मु0अ0सं0 43/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना राठ।
7. मु0अ0सं0 233/2021 धारा 120बी/380/411/457 भा0द0स0, थाना राठ।
8. मु0अ0सं0 338/2026 धारा 189(2)/285 बीएनएस, थाना राठ।

पुलिस टीम-

1. वरिष्ठ उपनिरीक्षक शिवसहाय सरोज, थाना राठ।
2. उपनिरीक्षक अभिषेक त्रिवेदी, थाना राठ।
3. कांस्टेबल दिलीप कुमार, थाना राठ।
4. कांस्टेबल गौरव जादौन, थाना राठ।
5. कांस्टेबल शिवशंकर झा, थाना राठ।